2010:CGHC:11536-DB

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक – 528/2001

अपीलार्थी : दिनेश कुमार

(कारागार में)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

विचारणीय निर्णय

हस्ताक्षरित/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अगली सुनवाई हेतु नियत — 25.08.2010

हस्ताक्षरित/-

न्यायाधीश

2010:CGHC:11536-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

युगलपीठ: माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश एवं माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्र. 528/2001

अपीलार्थी – दिनेश कुमार, पिता बसंत राम राजवाड़े, आयु 20 वर्ष, निवासी – ग्राम घटघरा, पुलिस थाना सोनहत, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना सोनहत, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता I

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 25 अगस्त, 2010 को उद्घोषित

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीश द्वारा पारित::

1. यह दाण्डिक अपील दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को पारित सत्र प्रकरण क्रमांक 97/01 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर, जिला कोरिया ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी बसंतीबाई की हत्या कारित करने का दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया है तथा आजीवन कारावास का दण्ड अधिरोपित किया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरणइस प्रकार है कि दिनांक 25.11.2000 को लालनपति अपने साथ सुखनन्दन, सनऊ तथा अपीलार्थी को लेकर थाना गया और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई कि उसकी पुत्री बसन्ती का विवाह अपीलार्थी के साथ गत फाल्गुन माह में हुआ था। वह 4-5 माह के गर्भ से थी तथा अपने ससुराल घुघरा में निवास कर रही थी। उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि बसन्तीबाई की मृत्यु पेट दर्द के कारण हो गई है, परन्तु जब वह घुघरा पहुँचा तो उसने उसके शरीर पर चोट के निशान पाए। मर्ग दर्ज करने के उपरान्त, मृतका का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/10) तैयार किया गया तथा शव को शव-परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत भेजा गया, जहाँ डॉ. (श्रीमती) के. पटेल, डॉ. एन. पी. भार्गव एवं डॉ. पी. एस. कुर्रे की मेडिकल टीम ने शव-परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/5 प्रदान की। तत्पश्चात दिनांक 12.01.2001 को अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया (प्रदर्श पी/11)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त अभियोग-पत्र (चार्ज-शीट) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण को सत्र वाद के विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश, कोरिया की न्यायालय को अभिसारित (कमिट) किया गया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु स्थानांतरण पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्राप्त हुआ।

4. माननीय विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विचरित किया गया , जिसे अभियुक्त ने नकारते हुए दोषारोपण से इनकार किया। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को सिद्ध करने हेतु कुल 11 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया। तत्पश्चात, अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन के विरुद्ध पाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का खण्डन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठे फँसाए जाने का अभिवचन किया। अभियुक्त ने अपने कथन के प्रश्न क्रमांक–44 के उत्तर में विशेष प्रतिरक्षा प्रस्तुत की, जिसमें कहा — "मैंने उसकी गर्दन नहीं दबाई; वह पेशाब के लिए बाहर गई थी और कमरे में नहीं थी; कुछ समय बाद जब वह वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने बाहर गया, जहाँ वह दरवाजे के पास बेहोश पड़ी मिली और बोल नहीं रही थी। मैं उसे कमरे के भीतर लाया और तत्पश्चात अपने माता-पिता को जगाया, जिन्होंने जाँच कर बताया कि उसकी नाड़ी नहीं चल रही है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है।" अभियुक्त ने अपने प्रतिरक्षा पक्ष में एक साक्षी बलकुंवर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. माननीय विचारण न्यायालय ने, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के उपरांत एवं उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया तथा इस निर्णय के अनुच्छेद–1 में वर्णित अनुसार दण्डित एवं कारावास से दण्डित किया।

6. माननीय विचारण न्यायालय ने, शव परीक्षण करने वाले डॉ. कुर्रे (अ.सा.-7) के कथन के आधार पर, जिन्होंने शव-परीक्षण किया तथा अपने प्रतिवेदन प्रदर्श पी/5 को प्रमाणित किया, यह प्रतिपादित किया कि विवादित मृतका की मृत्यु गला दबाने (थ्रॉटलिंग) से हुई है तथा कपाल (माथे) पर पाई गई चोट मृत्यु का कारण नहीं थी, और इस प्रकार मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

7. अ.सा.-7 डॉ. पी.एस. कुर्रे ने अपने कथन में कहा कि बसंतीबाई का शव दिनांक 26.11.2000 को परीक्षण हेतु लाया गया था। उन्होंने डॉ. एन.पी. भार्गव तथा डॉ. (श्रीमती) के. पटेल के साथ संयुक्त रूप से शव-परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान निम्न लक्षण पाए गए — शरीर पर हल्की पीलापन; हल्का अकडन विद्यमान; दुर्गंध आ रही थी; चेहरा नीलापन एवं

अनेक सूक्ष्म रक्तस्राव युक्त; दोनों नासाछिद्रों से रक्तमिश्रित जलीय द्रव निकल रहा था; ऊपरी एवं निचले दोनों होंठों पर सूक्ष्म बिंदुवत रक्तस्राव; जीभ सूजी हुई एवं बाहर निकली हुई; दोनों नेत्र बाहर की ओर फूले हुए, कंजंक्टाइवा पर रक्तस्रावी नीला-काला धब्बा (इकाइमोसिस) पाया गया तथा कंजंक्टाइवा अत्यधिक रक्तसंचित (कंजेस्टेड) थी; पुतलियाँ विस्तृत; कान एवं वक्ष पर कोई चोट नहीं; गले में अधिक cyanosis। इसके अतिरिक्त निम्न चोटें/दाग पाई गईं — बाँए भौं के ऊपर ललाट पर 1" × 0.5" आकार का निशान; बाँई आँख की निचली पलक से एक इंच नीचे 2" × 2" आकार का निशान; नाक के अग्र भाग पर 1" × 0.4" आकार का निशान; बाँए नासाछिद्र के नीचे 1" × 0.4" आकार का निशान। गर्दन पर नीलिमा को छोड़कर कोई बाहरी चोट नजर नहीं आई, और यह रक्त के जमाव के कारण था। आन्तरिक परीक्षण में पाया गया—लैरिंक्स में झाग विद्यमान; हायॉइड अस्थि अथवा उपास्थि का कोई फ्रैक्चर नहीं; गर्भाशय 16-22 सप्ताह की अवस्था का, गुलाबी रंग का; पेट/गर्भाशय पर कोई बाहरी चोट अथवा फटाव नहीं; गर्भ में लगभग 12-22 सप्ताह का पुरुष भ्रूण; लैरिंक्स एवं ट्रेकिया भी रक्ताभिसंचित पाए गए। चिकित्सकों की संयुक्त राय में मृत्यु का कारण श्वासावरोध के कारण हृदयघात, संभावित रूप से गला दबाने से, तथा मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी निष्कर्ष पर गंभीर विवादित की है कि मृतका की मृत्यु गला दबाने से उत्पन्न श्वासावरोध के कारण हुई। यह तर्क उ-ठाया गया कि मृतका के गले पर किसी प्रकार के फाँसी/रस्सी/कपड़ा आदि से कसाव का निशान न पाये जाने की स्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि गर्दन दबाए जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अस्थिर है।

इस संबंध में निम्न निर्णयों पर अव्लंभ लिया गया की — **मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय राय, 2004 (2) CCSC 916** एवं **कोज्जा श्रीनु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2004 (1) ANJ (SC) 385**

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से सीखे विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं, विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है तथा साथ ही विवादित/चुनौतीगत निर्णय का भी परीक्षण किया है।

11. मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 23वीं संस्करण में, गला-घोंटने को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह फांसी के अतिरिक्त किसी अन्य बल द्वारा गर्दन का संपीड़न है। शरीर के भार का गला-घोंटने से कोई संबंध नहीं होता। जब श्वासनली पूर्णतः बंद नहीं होती है, तब चेहरा नीला पड़ जाना हो जाता है, और मुंह, नथुनों तथा कानों से रक्तस्राव होता है, हाथ मुट्ठी के रूप में भींचे हुए मिलते हैं और झटके आते हैं, जिसके बाद विलंबित मृत्यु होती है। गला-घोंटने के मामलों में मृत्यु का कारण श्वासावरोध होता है। श्वासावरोध के कारण शव-परीक्षण उपस्थिति का वर्णन करते हुए उल्लेख किया गया है कि चेहरा सूजा हुआ तथा नीला पड़ा होता है और पिटीकियल धब्बों से चिह्नित होता है। आंखें उभरी हुई और खुली होती हैं। कुछ मामलों में यह बंद भी हो सकती हैं। नेत्र-श्लेष्मला सुजी हुई मिलती हैं और पुतलियाँ फैली हुई होती हैं। पलकें तथा नेत्र-श्लेष्मला पर पिटीकियल धब्बे दिखाई देते हैं। होंठ नीले होते हैं। मुंह और नथुनों से रक्तयुक्त झाग निकलता है, और कभी-कभी शुद्ध रक्त भी मुंह, नाक और कानों से बाहर आता है, विशेषकर तब जब अत्यधिक हिंसा की गई हो। जीभ प्रायः सूजी हुई, चोटिल, बाहर निकली हुई तथा गहरे रंग की मिलती है, जिसमें बहिर्प्रवेशन के धब्बे दिखाई देते हैं तथा कभी-कभी दाँतों से कटी हुई भी पाई जाती है। गर्दन के पीछे की ओर चोट के प्रमाण भी मिल सकते हैं। हाथ सामान्यतः भींचे हुए होते हैं। जननांग अवरुद्ध हो सकते हैं और मूत्र, मल तथा वीर्य स्राव भी हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**गर्दन पर उपस्थिति:** गर्दन पर दिखने वाली उपस्थिति उपयोग में लाई गई विधि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। गर्दन पर लगे लिगेचर को पोस्ट-मार्टम प्रारंभ होने से पहले अधिमानतः फोटोग्राफ किया जाना चाहिए।

(A) **लिगेचर मार्क:** लिगेचर मार्क एक स्पष्ट और थोड़ा धंसा हुआ निशान होता है, जो लगभग लिगेचर की चौड़ाई के अनुरूप होता है, और सामान्यतः गर्दन के निचले भाग में थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे स्थित होता है तथा गर्दन को पूरी तरह क्षैतिज दिशा में घेरता है। यदि लिगेचर को कई बार गर्दन के चारों ओर लपेटा गया है, तो निशान अनेक होंगे; इसी प्रकार यदि एक से अधिक मजबूत गाँठें लगी हों, तो हत्या निश्चित मानी जाती है। यह निशान तिरछा भी हो सकता है, जैसा कि फांसी में पाया जाता है, यदि पीड़ित को गला-घोंटे जाने के बाद क्षैतिज अवस्था में रस्सी से घसीटा गया हो, अथवा यदि पीड़ित बैठा हुआ हो और हमलावर उसके पीछे खड़े होकर गर्दन पर लिगेचर लगाते हुए बल को पीछे तथा ऊपर की दिशा में प्रयोग करे। निशान का आधार, जिसे ग्रूव या फर्रो कहा जाता है, सामान्यतः पीला होता है जिसके किनारे लाल तथा इक्काइमोटिक होते हैं। त्वचा छिल जाने पर मृत्यु के कई घंटे बाद यह हिस्सा सूखा, कठोर तथा चर्मपत्र जैसा हो जाता है। लिगेचर का पैटर्न भी दिखाई दे सकता है। बहुत बार निशान के आसपास की त्वचा में घर्षण तथा इक्काइमोसिस पाई जाती है। कुछ मामलों में गर्दन पर निशान बिल्कुल नहीं मिलता, या बहुत हल्का मिलता है, यदि प्रयुक्त लिगेचर नरम तथा लचीला हो (जैसे स्टॉकिंग या स्कार्फ) और यदि उसे मृत्यु के शीघ्र बाद हटा दिया गया हो। गर्दन की सावधानीपूर्वक जांच करने पर सूक्ष्म रेशे और लिगेचर की अन्य सामग्री भी मिल सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक उपस्थिति: लिगेचर मार्क या उंगलियों के निशानों के नीचे उपचर्म ऊतकों में तथा गर्दन की समीपस्थ मांसपेशियों में रक्त का बहिर्प्रवेशन पाया जाता है, जो प्रायः फट/चीर जाती हैं। कभी-कभी कैरोटिड धमनियों की आवरण झिल्ली तथा उनकी आंतरिक परतों में भी चीर-फाड़ पाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त का स्राव उनकी भित्तियों में पाया जाता है। हायॉइड बोन के कॉर्नुआ तथा थायरॉयड कार्टिलेज के सुपीरियर कॉर्नुआ में भी फ्रैक्चर हो सकता है, किन्तु सर्वाइकल वर्टिब्रे का फ्रैक्चर अत्यंत विरल होता है।

स्वरयंत्र और श्वासनली अवरुद्ध मिलते हैं तथा उनमें झागदार म्यूकस पाया जाता है। लैरिंक्स के कार्टिलेज या ट्रेकिया की रिंग्स में भी फ्रैक्चर पाया जा सकता है, जब अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया हो। फेफड़ों में प्रबल अवरोध पाया जाता है, जिनमें रक्तस्रावी चकत्ते और पिटीकियल धब्बे दिखाई देते हैं तथा काटने पर गहरा तरल रक्त बाहर आता है। हृदय के दाहिने भाग में गहरा तरल रक्त भरा होता है जबकि बायाँ भाग रिक्त होता है। ब्रॉन्कियल ऊतकों में सामान्यतः झागयुक्त रक्तमिश्रित म्यूकस पाया जाता है।

"मेडिको-लीगल प्रश्न" शीर्षक के अंतर्गत, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि मृत्यु गला-घोंटने से हुई थी या नहीं — यह चेतावनी दी गई है कि केवल लिगेचर मार्क से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि यदि नरम प्रकार का लिगेचर — जैसे रेशम — उपयोग किया गया हो तो निशान अस्पष्ट हो सकता है या अनुपस्थित भी रह सकता है, और मृत्यु के बाद भी गर्दन पर लिगेचर लागू करने से निशान उत्पन्न किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि मृत्यु गला-घोंटने से हुई है, यह आवश्यक है कि लिगेचर मार्क या उंगलियों, पैर, घुटने द्वारा उत्पन्न चोट के निशानों के अतिरिक्त अंतर्वर्ती ऊतकों पर हिंसा के प्रभाव तथा श्वासावरोध से मृत्यु के अन्य सभी लक्षणों का भी परीक्षण किया जाए। साथ-साथ, अन्य संभावित सबॉक्सिक अथवा श्वासावरोध मृत्यु के कारणों की संभावना को भी तत्काल रूप से बाहर किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हम पहले ही शव-परीक्षण रिपोर्ट में बाह्य एवं आंतरिक परीक्षण के पश्चात् दर्ज की गई शव-परीक्षण उपस्थिति तथा निष्कर्षों को पुनरुत्पादित कर चुके हैं, जिनसे यह प्रत्यक्ष होता है कि सामान्यतः गला-घोंटने से मृत्यु होने के मामलों में पाए जाने वाले सभी लक्षण इस मामले में भी विद्यमान हैं। शवपरीक्षा करने वाले डॉक्टरों ने मृतका की मृत्यु के कारण के रूप में उसके ललाट (माथे) पर लगी चोट को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। विचारण न्यायालय ने डॉ. कुर्रे के साक्ष्य के आधार पर यह माना है कि मृतका की मृत्यु गर्दन दबाए जाने से गला-घोंटने के परिणामस्वरूप हुई है। डॉ. कुर्रे के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात्, हमारा मत है कि उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्यों के समुचित विवेचन के आधार पर दर्ज किया गया है।

13. अ.सा.-1 धरमजीत संबंध में मृतका का भाई है। उसने यह बयान दिया है कि बसंती की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर वह गाँव नौगोई के अन्य व्यक्तियों के साथ घुघरा गया और मृतका के पिता से मृत्यु के कारण के संबंध में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि वह दरवाज़े की चौखट से टकरा कर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात्, उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई।

14. अ.सा.-2 लालनपति, जो मृतका के पिता हैं, ने भी यह बयान दिया है कि महेंद्र और एक अन्य व्यक्ति घुघरा से आए और उन्होंने सूचना दी कि बसंती की मृत्यु पेट दर्द के कारण हो गई है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ घुघरा गया। उसने अपीलार्थी के पिता से पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि वह दरवाज़े की चौखट से टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पैराग्राफ-2 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका आरोपी के घर में ही उपस्थित थी। घटना रात 12 बजे हुई थी और मृतका तथा अपीलार्थी अलग कमरे में रहते थे। सफेदलाल ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसकी हत्या कर दी है। प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया है कि मृतका ने कभी अपने पति या ससुराल पक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अ.सा.-3 कमलपति मृतका की माता है। उसने भी यह बयान दिया है कि दो व्यक्तियों ने उसे सूचना दी कि बसंती की मृत्यु पेट दर्द के कारण हुई है, जिस पर वे उसे देखने गए और उसके शरीर पर चोटें पाईं। आरोपी के घर के लोगों ने बताया कि जब बसंती शौच के लिए अपने कमरे से बाहर गई तो वह दरवाज़े की चौखट से टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। बसंती अवश्य ही अपने पति के साथ सो रही होगी। तथापि, प्रतिपरीक्षण में उसने यह कहा है कि उसकी पुत्री अपीलार्थी के साथ स्नेहपूर्वक रह रही थी और उसने कभी अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की।

16. अ.सा.-5 सफेदलाल अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्षी है। वह मृतका का बहनोई है। उसने यह बयान दिया है कि घटना के लगभग एक महीने बाद उसकी मुलाकात छिंदडांड बाजार में अपीलार्थी से हुई और अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने बसंती की हत्या उसके गले को दुपट्टे से दबाकर की। हालांकि, उसने कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद उसने यह

घटना लालनपति को बताई। प्रतिपरीक्षण में उसके डायरी कथन (प्रदर्श डी/5) में दुपट्टे से गला घोंटने के संबंध में किए गए कथन की अनुपस्थिति को इंगित किया गया है।

17. अ.सा.-6 महेन्द्र कुमार ने यह बयान दिया है कि बाजार में उसकी मुलाक़ात होने पर अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में उससे कोई जानकारी नहीं दी। तथापि, अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसने यह बयान दिया कि जब सफेदलाल ने अपीलार्थी से पूछा, तब उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उसे उसकी चरित्र पर शंका थी और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। परंतु, बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसने पुनः कहा कि सफेदलाल और आरोपी आपस में बातचीत कर रहे थे और आरोपी ने सफेदलाल के सामने स्वीकारोक्ति की, किंतु वह यह नहीं कह सकता कि दिनेश और सफेदलाल के बीच क्या बात हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. ब.सा.-1 बलकुंवर ने यह बयान दिया है कि उसे यह जानकारी मिली कि बसंतीबाई शौच के लिए बाहर जा रही थी, तब वह दरवाज़े की चौखट से टकरा गई और उसे चोटें आ गईं। मृत शरीर का निरीक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया और उसने मृतका के ललाट, नाक, गाल तथा आँखों के नीचे चोटें देखीं। उसने मृतका की गर्दन पर कोई चोट नहीं देखी, यद्यपि उसकी गर्दन पर कुछ खरोंचें अवश्य थीं। प्रतिपरीक्षण में उसने मृतका की गर्भावस्था को लेकर पति-पत्नी के बीच किसी विवाद के विषय में अज्ञानता व्यक्त की और कहा कि वह यह भी नहीं जानती कि अपीलार्थी ने गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित की थी या नहीं।

19. संजय राय (उपर्युक्त) के मामले में, आरोपी की पत्नी की उसके कमरे में मृत्यु हुई थी। आरोपी द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह उल्लेख था कि जब वह बाहर से वापस आया, तो उसने अपने कमरे को भीतर से बंद पाया और दरवाज़े को धकेलने पर कुंडी गिर गई और दरवाज़ा खुल गया, तथा उसने अपनी पत्नी को आलमारी की कुंडी से लटकी हुई पाया। उसने उसे नीचे उतारा, क्योंकि उसके पिता ने वह कपड़ा काट दिया था, जिससे वह लटकी हुई थी। इसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपी के माता-पिता को दोषमुक्त कर दिया, किन्तु पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। अपील में, उच्च

न्यायालय ने पति को दोषमुक्त कर दिया और यह माना कि सभी अथवा किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को प्रमाणित करने के लिए कोई निर्णायक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। हत्या का कोई हेतुक नहीं था और यह भी माना कि विचारण न्यायालय द्वारा मानी गई गला-घोंटने की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी, और डॉक्टर के साक्ष्य को अस्वीकार करते हुए यह माना गया कि उसे आरोपी पर अपराध सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

उच्च न्यायालय के दोषमुक्त करने के निर्णय की पुष्टि करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि गला-घोंटने की परिस्थितियाँ, जिन पर विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को दोषी ठहराने के लिए अवलंभ किया था, मेडिकल ज्यूरीस्प्रूडेंस की किसी पाठ्य-पुस्तक के संदर्भ पर आधारित थीं। किन्तु, ऐसी राय को न्यायालय में परीक्षित विशेषज्ञों की राय से उच्च स्तर पर नहीं रखा जा सकता। प्रत्यर्थी को गला-घोंटने की क्रिया से जोड़ने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती थी।

किन्तु, वर्तमान मामले में, शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने, बाह्य एवं आंतरिक परीक्षण के पश्चात् शव-परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज शव-परीक्षण उपस्थिति और अन्य निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया है कि मृतका की मृत्यु गला-घोंटने से उत्पन्न श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई है और उसके ललाट पर उपस्थित चोट उसकी मृत्यु का कारण नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. कोज्जा श्रीनु (उपर्युक्त) के मामले में यह माना गया है कि जहाँ आरोपी द्वारा की गई अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति जिस व्यक्ति के समक्ष की गई हो, वह हत्या की सूचना को उदासीन रूप से लेता है तथा उस स्वीकारोक्ति का खुलासा पुलिस को नहीं करता, ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी पुष्टिकरण के ऐसे साक्षी के बयान पर अवलंब करना सुरक्षित नहीं है।

21. वर्तमान मामले में, मृतका अपीलार्थी के साथ उसके घर में रह रही थी, जहाँ उसकी मृत्यु गला-घोंटकर की गई हत्या मानववध के रूप में हुई। मर्ग सूचना उसके पिता लालनपति द्वारा दी गई थी और अपीलार्थी भी अन्य व्यक्तियों के साथ उसके साथ गया था। मृतका की माता ने यह

बयान दिया है कि घटना की रात मृतका अवश्य ही अपने पति के साथ सो रही होगी। अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु गला-घोंटने से हुई। उसने यह भी नहीं नकारा कि घटना की रात मृतका उसके साथ सो रही थी। इसके विपरीत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बचाव में दिए गए अभिकथन में उसने विशेष रूप से कहा है कि दोनों कमरे में साथ सो रहे थे। मृतका शौच के लिए बाहर गई थी और जब वह कुछ देर तक नहीं लौटी, तब वह बाहर गया और उसे दरवाज़े के पास बेहोशी की अवस्था में ललाट पर चोटों के साथ पड़ा हुआ पाया।

शव-परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के पश्चात्, हम पहले ही यह निष्कर्ष दे चुके हैं कि मृतका की मृत्यु गला-घोंटने से, अर्थात् गर्दन दबाए जाने के परिणामस्वरूप, हुई थी। अपीलार्थी और मृतका पति-पत्नी हैं और घटना की रात दोनों घर में ही उपस्थित थे। अभियोजन साक्षियों तथा बचाव साक्षी बलकुंवर के साक्ष्य के परीक्षण से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि मृतका बसंतीबाई की मृत्यु के संबंध में बचाव द्वारा प्रस्तुत एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई, जिसे झूठा पाया गया है, क्योंकि डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से ललाट पर लगी चोट के कारण मृत्यु की संभावना को अस्वीकार किया है और यह मत व्यक्त किया है कि मृतका की मृत्यु गला-घोंटने से हुई। यह भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु गर्दन दबाए जाने से हुई। अंततः, अपीलार्थी ने सफेदलाल (अ.सा.-5) के समक्ष अपनी पत्नी की हत्या करने की अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति भी की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण तथा इस तथ्य को देखते हुए कि यह घर में हुई मनाववध हत्या का मामला है और अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटना की रात वह अपनी पत्नी–मृतका के साथ सोया था, हमारे विचार में अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परहे सिद्ध कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवैधता या त्रुटि नहीं है।

23.परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है और तदनुसार, खारिज की जाती है।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Abhishek Banjare, Advocate